

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 273/2014

अनवान :-

1. पुष्करसिंह पुत्र कंवरसेन जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दिनकरसिंह पुत्र कंवरसेन जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मुनेन्द्रसिंह पुत्र कंवरसेन जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महावीरसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पूर्णा पत्नी हरचन्द जाति माली निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. भंवरी पुत्री हरचन्द पत्नी जगदीश जाति माली निवासी पुरानी आबादी टावर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पुष्पा पुत्री हरचन्द पत्नी सुभाष जाति माली निवासी रविदास मन्दिर रोड़ शनि धर्मशाला के पास करनी नगर वार्ड न0 7 भिवानी तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
6. विरेन्द्र माता विद्यादेवी पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी पुरानी आबादी टावर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. गोपी पुत्र रामलाल जाति माली निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पंजाब नेशनल बैंक परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- 1. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता वादी

2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 24/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 85/75 की 3.5420हैक् भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है।

उपरोक्त भूमि का खाता मुश्तरका है जिसके कारण सीव डोल का व कास्त को लेकर हमेशा तनाजात रहा है उक्त भूमि का खाता मुश्तरका रहने से लगान व कब्जा कास्त का तनाजा रहता है इसलिये वादी वाद भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी स0 1 ता 7 से अलग - अलग करवाने का अधिकारी है इसी आशय की वादी धोषणा करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा खाता व लगान अलग करवाने हेतु कहा कुछ दिन तो आज कल आज कल करते रहे आखिर में इन्कार हो गये इसलिये वाद प्रस्तुत किया गाय ह।

वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 85/75 की 3.5420हैक् भूमि का खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी रोही मौजा 25 एनटीआर प्रस्तुत की गई हैं।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउंटर पेश किया एवं अधिवक्ता वादी द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन की तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। साक्ष्य में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा पत्र पेश किये जिरह वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील व वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 333/426(8) कि0न0 19 ता 23 की 1.2650, प0न0 332/426 (9) किला न0 16/0.2530 हैक्ट, 25/0.2530 हैक्ट, प0न0 332/427(12) किला न0 5/0.2280 हैक्ट, प0न0 333/427(13) किला न0 1 ता 3 की 0.7590 हैक्ट, 8/0.2530 हैक्ट, 9/0.2530 हैक्ट, 12/0.2530 हैक्ट प0न0 0 मु0न0 71/16 कि0न0 0 की 0.2530 हैक्ट कुल 3.5420 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 पुष्कर सिंह, दिनकर सिंह, मुनेन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह पि0 कंवरसैन बहिब जाति गुर्जर सा0 नोहर— प0न0 333/427 मु0न0 13 कि0न0 9, 12 की 0.506 हैक्ट किता 2 रकबा—0.506 हैक्ट
- 2 मोहनलाल पुत्र अमीलाल 1/2 हि0, राजेन्द्र पुत्र महावीर सिंह 1/2 हि0, जाति जाट सा0 परलीका खातेदार राहिन मोहनलाल, राजेन्द्र पीएनबी शाखा परलीका— प0न0 332/426 मु0न0 9 कि0न0 16, 25 की 0.506 हैक्ट, मु0न0 12 किला न0 5/1 की 0.025 हैक्ट रास्ता, 5/2 की 0.228 हैक्ट, मु0न0 8 किला न0 21 की 0.253 हैक्ट, मु0न0 13 किला न0 1 की 0.253 कुल किता 6 की रकबा 1.265 हैक्ट
- 3 कमलेश सैनी पुत्री मदनलाल सैनी 3163/53130 हि0 जाति सैनी सा0 गंगानगर, वीरेन्द्र पुत्र नन्दलाल सैनी उर्फ मदनलाल सैनी 4427/26565 जाति सैनी सा0 गंगानगर, रामलाल पुत्र प्रेमराम 1/7 हि0 जाति सैनी सा0 नोहर, पुष्पा पुत्री हरचन्द 2/7 हि0, भंवरी पुत्री हरचन्द 2/7 हिस्सा जाति सैनी सा0 नोहर, मन्जु सैनी पुत्री नन्दलाल उर्फ मदनलाल सैनी 3163/53130 हि0 जाति सैनी सा0 गंगानगर— मु0न0 8 किला न0 19, 20, 22, 23 की 1.0120 हैक्ट, मु0न0 13 किला न0 2, 3, 8 की 0.759 हैक्ट कुल किता 7 रकबा 1.771 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 273/2014

अनवान :-

1. पुष्करसिंह पुत्र कंवरसेन जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दिनकरसिंह पुत्र कंवरसेन जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मुनेन्द्रसिंह पुत्र कंवरसेन जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महावीरसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पुर्णी पत्नी हरचन्द जाति माली निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. भंवरी पुत्री हरचन्द पत्नी जगदीश जाति माली निवासी पुरानी आबादी टावर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. पुष्पा पुत्री हरचन्द पत्नी सुभाष जाति माली निवासी रविदास मन्दिर रोड़ शनि धर्मशाला के पास करनी नगर वार्ड न0 7 भिवानी तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
6. विरेन्द्र माता विद्यादेवी पत्नी मदनलाल जाति माली निवासी पुरानी आबादी टावर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. गोपी पुत्र रामलाल जाति माली निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पंजाब नेशनल बैंक परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 273 सन 2014 निर्णय दिनांक 27/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के प0न0 333/426(8) कि0न0 19 ता 23 की 1.2650, प0न0 332/426 (9) किला न0 16/0.2530 हैक्ट, 25/0.2530 हैक्ट, प0न0 332/427(12) किला न0 5/0.2280 हैक्ट, प0न0 333/427(13) किला न0 1 ता 3 की 0.7590 हैक्ट, 8/0.2530 हैक्ट, 9/0.2530 हैक्ट, 12/0.2530 हैक्ट प0न0 0 मु0न0 71/16 कि0न0 0 की 0.2530 हैक्ट कुल 3.5420 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. पुष्कर सिंह, दिनकर सिंह, मुनेन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह पि0 कंवरसेन बहिब जाति गुर्जर सा0 नोहर- प0न0 333/427 मु0न0 13 कि0न0 9, 12 की 0.506 हैक्ट किता 2 रकबा-0.506 हैक्ट
2. मोहनलाल पुत्र अमीलाल 1/2 हि0, राजेन्द्र पुत्र महावीर सिंह 1/2 हि0, जाति जाट सा0 परलीका खातेदार राहिन मोहनलाल, राजेन्द्र पीएनबी शाखा परलीका- प0न0 332/426 मु0न0 9 कि0न0 16, 25 की 0.506 हैक्ट, मु0न0 12 किला न0 5/1 की 0.025 हैक्ट रास्ता, 5/2 की 0.228 हैक्ट, मु0न0 8 किला न0 21 की 0.253 हैक्ट, मु0न0 13 किला न0 1 की 0.253 कुल किता 6 की रकबा 1.265 हैक्ट
3. कमलेश सैनी पुत्री मदनलाल सैनी 3163/53130 हि0 जाति सैनी सा0 गंगानगर, वीरेन्द्र पुत्र नन्दलाल सैनी उर्फ मदनलाल सैनी 4427/26565 जाति सैनी सा0 गंगानगर, रामलाल पुत्र प्रेमराम 1/7 हि0 जाति सैनी सा0 नोहर, पुष्पा पुत्री हरचन्द 2/7 हि0,

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

भंवरी पुत्री हरचन्द 2/7 हिस्सा जाति सैनी सा0 नोहर, मन्जु सैनी पुत्री नन्दलाल उर्फ मदनलाल सैनी 3163/53130 हि0 जाति सैनी सा0 गंगानगर- मु0न0 8 किला न0 19, 20, 22, 23 की 1.0120 हैक्ट, मु0न0 13 किला न0 2, 3, 8 की 0.759 हैक्ट कुल किता 7 रकबा 1.771 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर